



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 538]	नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 16, 2019/भाद्र 25, 1941
No. 538]	NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 16, 2019/BHADRA 25, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2019

(आय-कर)

सा.का.नि. 661(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 10 के खंड (47) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (सातवाँ संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे

2. आय-कर नियम, 1962 के नियम 2च के उपनियम (5) में परन्तुक का लोप किया जाएगा।

[अधिसूचना सं. 66/2019/फा.सं. 370142/10/2019-टीपीएल]

नीरज कुमार, उप सचिव (कर नीति और विधान)

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3215(अ), तारीख 5 सितंबर, 2019 द्वारा किया गया था।